कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस बरेली परिक्षेत्र बरेली।

पत्र संख्याः 2016/18581/संभ/संभल/254/डी0डी0 174/649 दिनांकःफरवरी, 09 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद संभल।

विषयः **खसरा न0–683 ग्राम अफजलपुर डरोली, तहसील चन्दौसी, जनपद संभल परं एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः आपका पत्रांक:579/2/रीडर–अ0प्र0पत्र/2016 दिनांक:25.01.2016

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके द्वारा खसरा न0–683 ग्राम अफजलपुर डरोली, तहसील चन्दौसी, जनपद संभल परं एस्सार ऑयल लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण/परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद संभल श्री विवेक शर्मा द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार किया तो उनकी निरीक्षण संस्तुति आख्या **दिनांक:03.02.2016** के अनुसार प्रस्तावित स्थल 45.72 मीटर चौडे राष्ट्रीय एन0एच0–93 चन्दौसी/मुरादाबाद–अलीगढ़/बहजोई रोड पर स्थित है, जहॉ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ–जा सकते है। प्रस्तावित स्थल मानचित्रों के अनुरूप है। प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाई/लोटेंशन विद्युत लाइन नही गुजर रही है। प्रस्तावित स्थल अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल के मानचित्र पैट्रोलियम रूल्स–2002 के अनुरूप पाये गये।

अतः **खसरा न0–683 ग्राम अफजलपुर डरोली, तहसील चन्दौसी, जनपद संभल परं एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र** निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता हैं:–

1– प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु सभी निर्माण कार्य पैट्रोलियम रूल्स–1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोलियम रूल्स तथा रिटेल आउटलेट बिषयक समय–समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुरूप किये जायेगे।

2– प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाइटेंशन या लोटेंशन विद्युत लाइन नही गुजारी जायेगी।

3– प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पैट्रोलियम पदार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जायेगा।

4– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी/आग उत्पन्न करते हो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसके सम्बन्ध में समुचित उपाय सुनिश्चित किये जायेगें।

08.2.16

क्रमशः..........02

5– प्रस्तावित स्थल पर धुम्रपान निषेध वोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक तथा आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नं0 की सूची लगाया/दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।

6– प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ.आई.एस.डी. स्टेण्डर्ड, पैट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय प्रवृत अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरूप की जायेगी।

प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप निर्माण कराये जाने के उपरान्त अग्निशमन विभाग से उपरोक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके उपरान्त ही रिटेल आउटलेट के संचालन हेतु अग्निशमन सुरक्षाओं का निर्देश निर्गत किये जायेगें जिन्हे पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं प्रबन्धक का होगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र

कुल 01 वर्क

(अजय कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, फ़ायर सर्विस
बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– मुख्य अग्निशमन अधिकारी संभल ।

2– अग्निशमन अधिकारी जनपद संभल।

3– गुलशन सेठी डिवीजनल मैनेजर यू0पी0 वेस्ट तृतीय तल, टावर–ए, ए–41, सेक्टर–62, नोएडा, उ0प्र0।

08/0.4.1

(अजय कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, फ़ायर सर्विस
बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र

Essar Oil Limited

24/3/10

Manish Kumar Singh
Divisional Manager